न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,अम्बेडकरनगर।

UPAN010007522026

Bail Application/198/2026

प्रेमकुमार उर्फ शनी तिवारी आयु लगभग 25 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश तिवारी निवासी ग्राम–राऊतपारा सेहरामऊ थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर। ....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ––––––अभियोजन पक्ष

09.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त प्रेमकुमार उर्फ शनी तिवारी की ओर से **अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र** मु०अ०सं०–49/2024 अन्तर्गत धारा–406,420 भा.द.सं. थाना–आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इसप्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक को इस आशय की तहरीर दी गयी कि विपक्षी प्रेम कुमार उर्फ सनी द्वारा प्रार्थी से आर्टिका कार दिलवाये जाने के बावत 602000/–रूपया धोखाधड़ी से लेकर आज तक न तो कार दिला सके और पैसे की मांग करने पर हीला हवाली करने लगे। प्रार्थी ने एक किता उपरोक्त कार खरीदने हेतु मु0 602000/–रूपया प्रेमकुमार उर्फ सनी तिवारी ने ले रखी है। जबकि दिगनांक 15.11.2023 से 21.11.2023 तक दे रखा है। प्रार्थी ने उक्त रकम श्यामजी मोटर्स एण्ड एसोसिएट जिसका खाता संख्या–923020006454979 में मु0 300000/–चेक व फोन पे द्वारा उक्त एकाउन्ट में भेजा गया है। प्रार्थी को विपक्षी द्वारा न तो कार दिलाया गया तथा फोन से बात करने पर फोन भी बन्द मिलता है। मुझे जानकारी मिली है कि उक्त रकम को विपक्षी ने हड़प लिया है जिसके कारण विपक्षी कुछ बताने से मौन है इसलिए विपक्षी द्वारा धोखाधड़ी करके ली गयी रकम के आरोप में पाबंद कराते हुए वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. आवेदक/अभियुक्त ने **अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र** में कथन किया है कि प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी का अपराध उपरोक्त को छोड़कर कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। वास्तविकता यह है कि वादी ने प्रार्थी से रामनगर में मार पीट किया था और मार पीट कर 1500/–रूपया छीन लिया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थी ने थाना आलापुर में प्रार्थनापत्र दिया था। वादी द्वारा मात्र दबाव बनाने के लिए यह प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया है। अतः उसने स्वंय को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.10 12:28:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग है कि उसने वादी मुकदमा को कार दिलाने के नाम पर 6,0,2000/–लेने व उक्त रूपया लेने के बाद न तो कार दिलाया गया और न ही रूपया वापस किया गया। इसप्रकार अभियुक्त ने धोखाधड़ी से रूपया प्राप्त किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में आरोप पत्र आ चुका है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक का कथन है कि वह अग्रिम जमानत पर रिहा होने पर विचारण में सहयोग करेगा। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्रस्तुत किया गया है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं पाता हूँ कि आवेदक/अभियुक्त वाद के विचारण के दौरान अग्रिम जमानत पर मुक्त होने का हकदार है। उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र बलयुक्त है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त प्रेम कुमार उर्फ शनी तिवारी द्वारा मु0अ0सं0 49/2024 अन्तर्गत धारा–406,420 भा.द.सं. थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत वन्ध–पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर उसे वाद के विचारण के दौरान निम्नलिखित शर्तो के अधीन **अग्रिम जमानत** पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त प्रकरण के विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा,अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं प्रस्तुत करेगा।
2. अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर समक्ष न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से न तो डरायेगा ही धमकायेगा और किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनांक–09.03.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड नं. यू.पी. 6067